पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 403 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8 दिनांक :28.04.2020

विषयः माह अप्रैल, 2020 का वेतन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/ उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल...।

कृपया उपरोक्त विषयक पिटकुल में कार्यरत नियमित कार्मिकों एवं संविदा के माध्यम से नियोजित आउटसोर्स कर्मियों को कोविड–19 के चलते लॉक डाऊन अवधि में कारपोरेशन द्वारा माह अप्रैल, 2020 का वेतन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :–

1- **नियमित कार्मिको के वेतन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में** :– अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 96/XXX(2)/2020-04 का0–2/13 दिनांक 18.03.2020 के क्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0 371/मा0सं0एवंप्र0वि0/ पिटकुल/पी–8 दिनांक 20.04.2020 द्वारा उत्तराखण्ड जनरल– ओ0बी0सी0 इम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा किये गये आन्दोलन की अवधि के वेतन का समायोजन सम्बन्धित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश में किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।
अतः उक्त आन्दोलन में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों का निजी दायित्व होगा कि वह हडताल अवधि का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करवाते हुए उसकी प्रति सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रणाधीन कोई भी कार्मिक उक्त आन्दोलन में सम्मिलित नहीं हुआ था तथा तदानुसार उसका वेतन निर्गत कर दिया जायेगा, यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि कोई कार्मिक हडताल में सम्मिलित था परन्तु उसके उक्त हडताल अवधि का समायोजन अर्जित अवकाश से नहीं हुआ है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्मिक एवं नियंत्रक अधिकारी का होगा।

2- **संविदा के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में** :– सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी संविदा कर्मियों का मानदेय निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक नियोजित कार्मिक लॉक डाऊन की अवधि में कारपोरेशन आवश्यकतानुसार कार्यालय में उपस्थित रहा हो अथवा उक्त अवधि में अपने मुख्यालय में ही उपस्थित रहा हो जिससे कि किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान से बचा जा सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। 28/4/20

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–8, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयगत पत्र को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

28/4/2020

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)